<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>27.05.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पारिमैच के मामले में चल रही जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत 26/05/2025 को महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, दमन और उत्तर प्रदेश के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान लगभग **1.56 करोड़ रुपये** की चल संपत्ति जब्त की गई, जिसमें लगभग 1.2 करोड़ रुपये नकद शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में जमा लगभग **3.8 करोड़ रुपये** की धनराशि फ्रीज कर दी गई है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए हैं।

मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा पारिमैच डॉट कॉम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पारिमैच के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के आरोप में जांच शुरू की है। उन्होंने निवेशकों को उच्च रिटर्न का लालच देकर ठगी की और अब तक की जांच से पता चला है कि उन्होंने एक वर्ष में 3000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम अर्जित की है।

अब तक की गई जांच से पता चला है कि पैरीमैच और उसके सहयोगियों ने उपयोगकर्ता के धन के संग्रह, हेरफेर और हस्तांतरण के लिए फर्जी खातों, भुगतान मध्यस्थों और वित्तीय समावेशन चैनलों के एक जटिल नेटवर्क को अपनाया। कुछ मामलों में, प्लेटफ़ॉर्म द्वारा नियंत्रित खातों से सीधे भुगतान किए बिना ही उपयोगकर्ताओं की निकासी की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बजाय, अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा की गई धनराशि को कई किस्तों में सीधे निकासी करने वाले उपयोगकर्ता के बैंक खाते या यूपीआई आईडी में भेज दिया गया, जिससे वास्तविक धन लेनदेन छिपा रहा और सीधे भुगतान का संबंध स्थापित नहीं हो सका।

जांच में यह भी पता चला है कि उपयोगकर्ताओं के जमा और निकासी को सॉफ्टवेयर, फिनटेक और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थाओं के नाम पर खोले गए कई चालू खातों के माध्यम से किया जाता था, जो वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों में भी संलग्न थीं। आरोप है कि इन खातों का उपयोग विक्रेता भुगतान, व्यावसायिक लेनदेन और भुगतान गेटवे सेवाओं की आड़ में उपयोगकर्ता जमा राशि एकत्र करने और भुगतान करने के लिए किया जाता था।

जांच में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) नेटवर्क, मोबाइल मनी ट्रांसफर एजेंट, ग्राहक सेवा केंद्र, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज (सीएमएस), स्थानीय किराना स्टोर और खुदरा दुकानों का दुरुपयोग भी सामने आया है, जिनका इस्तेमाल प्लेटफॉर्म से जुड़े भुगतान और धन के लेन-देन के लिए किया जाता था। जांच में यह भी पता चला है कि इसमें कई स्तरों वाली व्यवस्था थी, जिसके तहत उपयोगकर्ताओं के धन को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) नेटवर्क के अंतर्गत संचालित खुदरा विक्रेताओं/ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से भेजा जाता था। धन सबसे पहले खुदरा विक्रेताओं को हस्तांतरित किया गया, जिन्होंने इसे बीसी को सौंप दिया, और बीसी ने बदले में उन खुदरा विक्रेताओं के वॉलेट को रिचार्ज कर दिया। एक बार वॉलेट में धन आ जाने के बाद, खुदरा विक्रेताओं ने उनका उपयोग पारिमैच प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने के लिए किया, और फिर इन वॉलेट का उपयोग पारिमैच उपयोगकर्ताओं को भुगतान करने के लिए किया गया, जिससे धन के वास्तविक स्रोत और लेन-देन का पता छिपा रहा।

कुछ एजेंटों ने कथित तौर पर सीएमएस चैनलों के माध्यम से प्राप्त नकदी को डायवर्ट किया और उसे पारिमैच उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा की गई धनराशि से प्राप्त आरटीजीएस हस्तांतरण के साथ समायोजित कर दिया, जिससे धन के वास्तविक स्रोत और लेन-देन को छिपाया जा सके। बाद में इस नकदी को हवाला चैनलों के माध्यम से भारत से बाहर भेज दिया गया।

आगे की जांच से पता चला है कि पारिमैच ने "पारिमैच स्पोर्ट्स" और "पारिमैच न्यूज" नामों से छद्म विज्ञापनों के माध्यम से अपने सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का आक्रामक रूप से प्रचार किया। अन्य सट्टेबाजी वेबसाइटों के विपरीत, पारिमैच ने स्थानीय विपणन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके तहत इसने भारत के 15 से अधिक राज्यों में स्थानीय क्रिकेट लीगों में टीमों को प्रायोजित किया, साथ ही हॉकी और फुटबॉल टूर्नामेंटों को भी। जांच में यह भी पता चला है कि प्लेटफॉर्म ने प्रमुख त्वरित व्यापार अनुप्रयोगों के माध्यम से सट्टेबाजी से संबंधित विज्ञापनों को बढ़ावा दिया और नए

उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किराने के सामान की डिलीवरी के साथ प्रचार सामग्री वितरित की। ऐसे विज्ञापन रणनीतिक रूप से ऐप के उपयोग और ऑर्डर देने के दौरान उपयोगकर्ताओं को दिखाए गए ताकि नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया जा सके और उन्हें प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके।

इस मामले में ईडी ने अब तक 112 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज़ की है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।